

प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के अंतर्गत क्रियाशील 53 विभागों, 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 37 स्वायत्त निकायों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2020-21 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।